RNA : Real News Analysis

DAILY CURRENT AFFAIRS

UPSC, STATE PCS, SSC, RAILWAY, BANKING, DEFENCE,
और अन्य सभी सरकारी परीक्षाओं के लिए अति महत्वपूर्ण

DATE
फरवरी
04
2025

Key Point

1. National News
2. International News
3. Govt. Mission, Apps
4. Awards & Honours
5. Sports News
6. Economic News
7. Newly Appointment
8. Defence News
9. Important Days
10. Technology News
11. Obituary News
12. Books & Authors

By Ankit Avasthi Sir

वित्तीयकरण / Financialisation

संदर्भ:

आर्थिक सर्वेक्षण 2025 ने भारत में **अत्यधिक वित्तीयकरण** को लेकर चेतावनी दी है, क्योंकि यह **असमानता, ऋण स्तर और परिसंपत्ति मूल्यों** पर निर्भरता बढ़ाकर अर्थव्यवस्था को नुकसान पहुंचा सकता है।

वित्तीयकरण (Financialisation) क्या है?

1. **अर्थव्यवस्था का वित्तीयकरण:**
   - जब वित्तीय बाजार, वित्तीय संस्थान और वित्तीय उद्देश्यों का प्रभुत्व अर्थव्यवस्था में बढ़ जाता है।
   - आर्थिक वृद्धि और संपत्ति निर्माण पारंपरिक क्षेत्रों (उद्योग, कृषि, सेवाएँ) की तुलना में वित्तीय गतिविधियों (शेयर बाजार, बैंकिंग, निवेश फंड) पर अधिक निर्भर हो जाता है।
2. **बचत का वित्तीयकरण:**
   - जब घरेलू या कॉर्पोरेट बचत पारंपरिक भौतिक संपत्तियों (सोना, अचल संपत्ति, नकद) से हटकर वित्तीय संपत्तियों (शेयर, म्यूचुअल फंड, बॉन्ड, बीमा) की ओर स्थानांतरित होती है।

वित्तीयकरण के प्रमुख कारक:

1. घरेलू बचत का शेयर बाजार में प्रवाह बढ़ना।
2. वित्तीय बाजारों में खुदरा निवेशकों की भागीदारी बढ़ना।
3. ऋण भार को संतुलित करने के लिए परिसंपत्ति मूल्यों (Asset Prices) पर अधिक निर्भरता।
4. वित्तीय बाजारों की प्राथमिकताओं से प्रभावित नीतिगत और विनियामक ढाँचा।

वित्तीयकरण के परिणाम:

1. **आर्थिक असमानता:**
   - वित्तीयकरण के लाभ आमतौर पर संपन्न वर्ग के पास केंद्रीत होते हैं, खासकर उन लोगों के पास जिनके पास महत्वपूर्ण वित्तीय संपत्तियाँ होती हैं, जिससे आय और संपत्ति में असमानता बढ़ती है।
   - श्रमिक और मध्यवर्गीय परिवार अक्सर वित्तीय वृद्धि से समान रूप से लाभ नहीं उठाते।
2. **वित्तीय संकटों के प्रति संवेदनशीलता:**
   - वित्तीयकरण ने अर्थव्यवस्थाओं को वित्तीय झटकों के प्रति अधिक संवेदनशील बना दिया है, जैसे कि 2008 का वैश्विक वित्तीय संकट।
   - वित्तीय उपकरणों की बढ़ती जटिलता (जैसे डेरिवेटिव्स, मॉर्टगेज-बैक्ड सिक्योरिटीज) अस्थिरता का कारण बन सकती है।
   - वैश्विक वित्तीय प्रणालियों का आपसी संबंध मतलब यह है कि किसी एक बाजार या देश में संकट का प्रभाव पूरी दुनिया पर पड़ सकता है।
3. **लघुकालिक सोच (Short-Termism):**
   - कंपनियाँ और निवेशक तत्काल लाभ और वित्तीय रिटर्न पर ध्यान केंद्रित करते हैं, जो अक्सर नवाचार, अवसंरचना, और मानव पूंजी में दीर्घकालिक निवेश की कीमत पर होता है।
   - यह लघुकालिक सोच दीर्घकालिक आर्थिक विकास को कमजोर करती है।
4. **ऋण-प्रेरित वृद्धि (Debt-driven Growth):**
   - वित्तीयकरण के परिणामस्वरूप सरकारों और व्यक्तियों के लिए ऋण पर निर्भरता बढ़ जाती है।
   - उपभोक्ता क्रेडिट, कॉर्पोरेट ऋण, और सार्वजनिक ऋण में वैश्विक स्तर पर वृद्धि हुई है क्योंकि क्रेडिट तक पहुंच बढ़ी है।
   - यह ऋण-प्रेरित वृद्धि संपत्ति बाजारों, जैसे रियल एस्टेट, में बुलबुले बना सकती है, जिससे वित्तीय संकट का खतरा बढ़ जाता है।
5. **राजनीतिक प्रभाव:** वित्तीय लॉबी के प्रभाव में नीतियाँ अक्सर वित्तीय क्षेत्र के पक्ष में आकार लेती हैं, जैसे कि **नियमों में ढील** और **कर प्रोत्साहन**।

संतुलन की आवश्यकता:

- भारत को वित्तीय क्षेत्र के विकास और वित्तीयकरण के बीच संतुलन बनाए रखना आवश्यक है।
- इसमें घरेलू वित्तीय बचत, निवेश की आवश्यकताएँ, और वित्तीय साक्षरता जैसे पहलुओं को समझना जरूरी है।
- नीतियाँ वित्तीय क्षेत्र में प्रोत्साहनों को देश के विकास लक्ष्यों के साथ संरेखित करना चाहिए।

विनियामक तत्परता (Regulatory Readiness):

1. **वित्तीयकरण से उत्पन्न संवेदनशीलताओं के लिए तैयारी:** भारत को वित्तीयकरण से उत्पन्न होने वाली संवेदनशीलताओं के लिए उचित विनियामक उपायों और सरकार के हस्तक्षेप के लिए तैयार रहना चाहिए।
2. **बैंकों का डिजिटल अर्थव्यवस्था और नए जमाने की घरेलू आवश्यकताओं के अनुसार अनुकूलन:** बैंकों को डिजिटल अर्थव्यवस्था और घरेलू मांगों के नए रूपों के साथ अनुकूलित होने की आवश्यकता है, जबकि उन्हें ऋण सृजन की अपनी भूमिका जारी रखनी चाहिए।

नागरिकता के लिए कानूनी प्रणालियाँ / Legal Systems for Citizenship

संदर्भ:

डोनाल्ड ट्रंप ने एक आदेश जारी किया, जिसमें कहा गया है कि **भविष्य में केवल उन्हीं बच्चों को अमेरिकी नागरिकता मिलेगी, जिनके माता-पिता अमेरिकी नागरिक या ग्रीन कार्ड धारक** हैं।

नागरिकता:

1. **कानूनी स्थिति और राज्य के साथ संबंध:**
   - नागरिकता एक कानूनी स्थिति और व्यक्ति और राज्य के बीच संबंध है, जिसमें विशिष्ट कानूनी अधिकार और कर्तव्य शामिल होते हैं।
2. **राष्ट्रीयता के समानार्थक:**
   - नागरिकता को सामान्यत: राष्ट्रीयता के पर्याय के रूप में इस्तेमाल किया जाता है।
3. **भारतीय संविधान में नागरिकता की परिभाषा नहीं दी गई है:**

- भारतीय संविधान में 'नागरिक' शब्द की परिभाषा नहीं दी गई है. हालांकि, संविधान में नागरिकता से जुड़े प्रावधान हैं. इन प्रावधानों के ज़रिए, नागरिकता पाने के लिए ज़रूरी शर्तों का उल्लेख किया गया है.
  - भारतीय संविधान के अनुच्छेद 5 से 11 में नागरिकता से जुड़े प्रावधान दिए गए हैं

नागरिकता के कानूनी सिद्धांत

1. **जस सोलि (Jus Soli) - जन्मस्थल का अधिकार:**
   - नागरिकता जन्म स्थान के आधार पर दी जाती है, चाहे माता-पिता की राष्ट्रीयता कुछ भी हो।
   - इसका पालन कनाडा, मैक्सिको, ब्राज़ील, अर्जेंटीना और अन्य उत्तर एवं लैटिन अमेरिकी देशों में किया जाता है।
2. **जस सांग्विनिस (Jus Sanguinis) - रक्त का अधिकार:**
   - नागरिकता जन्मस्थान के बजाय माता-पिता की राष्ट्रीयता के आधार पर दी जाती है।
   - यह मिस्र, दक्षिण अफ्रीका, जर्मनी और भारत सहित कई अफ्रीकी, यूरोपीय और एशियाई देशों में प्रचलित है।

अमेरिकी कानूनी परिप्रेक्ष्य:

1. **संयुक्त राज्य अमेरिका जस सोलि सिद्धांत का पालन करता है।**
2. **14वां संशोधन (1868):** अमेरिका में जन्मे या प्राकृतिक रूप से नागरिक बने सभी व्यक्तियों को अमेरिकी नागरिकता प्रदान करता है।
3. **यू.एस. सुप्रीम कोर्ट का निर्णय (1898):**
   - 14वें संशोधन के तहत, अमेरिका में जन्म लेने वाले सभी बच्चों को नागरिकता का अधिकार प्राप्त है, भले ही उनके माता-पिता की राष्ट्रीयता कुछ भी हो।

भारत पर प्रभाव:

1. **भारतीय-अमेरिकी समुदाय में अनिश्चितता:**
   - कार्यकारी आदेश से अस्थायी वीज़ा (जैसे H-1B) पर रहने वाले भारतीयों के लिए अनिश्चितता बढ़ गई है।
   - अमेरिकी धरती पर जन्मे उनके बच्चों को अब स्वचालित रूप से नागरिकता नहीं मिल सकती।
2. **भारतीय परिवारों पर संभावित प्रभाव:**
   - हजारों भारतीय परिवारों को अपने बच्चों की नागरिकता स्थिति को लेकर कठिनाइयों का सामना करना पड़ सकता है।
   - अमेरिका में जन्म लेने वाले बच्चों की भविष्य की सुरक्षा और प्रवास संबंधी योजनाओं पर असर पड़ सकता है।
3. **भारत में प्रवासन नीतियों पर प्रभाव:**
   - इससे अमेरिका में रहने वाले भारतीयों की भारत वापसी की संभावनाएँ बढ़ सकती हैं।
   - भारत में नागरिकता और प्रवासी नीति पर पुनर्विचार की आवश्यकता हो सकती है।

भारत में नागरिकता

1. **प्रारंभिक नागरिकता सिद्धांत (1955): नागरिकता अधिनियम, 1955** शुरू में **जस सोलि (Jus Soli)** सिद्धांत का पालन करता था, यानी जन्म स्थान के आधार पर नागरिकता दी जाती थी।
2. **संशोधन और बदलाव: 1987 के बाद:** नागरिकता को माता-पिता की राष्ट्रीयता से जोड़ने के लिए **जस सांग्विनिस (Jus Sanguinis)** सिद्धांत लागू किया गया।
3. **नागरिकता नियम (2004 के बाद):** नागरिकता केवल तभी दी जाती है यदि **दोनों माता-पिता भारतीय नागरिक हों** या
   - यदि **एक माता-पिता भारतीय नागरिक हो और दूसरा अवैध प्रवासी न हो।**

रस्टी-स्पॉटेड कैट / Rusty-Spotted Cat

संदर्भ:

पश्चिम बंगाल के पुरुलिया जिले के जंगलों में हाल ही में दुनिया की सबसे छोटी बिल्ली प्रजाति, **रस्टी-स्पॉटेड कैट देखी** गई।

- यह खोज **ह्यूमन एंड एनवायरनमेंट एलायंस लीग (HEAL)** के शोधकर्ताओं ने पैंगोलिन शिकार की जांच के दौरान की।

रस्टी-स्पॉटेड कैट के बारे में:

1. **विशेषता:** यह दुनिया की **सबसे छोटी और सबसे हल्की बिल्ली** प्रजाति है।
2. **वैज्ञानिक नाम:** *Prionailurus rubiginosus*
3. **वितरण क्षेत्र (Distribution):**
   - शुष्क पर्णपाती और अर्ध-पर्णपाती वन:
     - **उत्तर और मध्य भारत**
     - **पश्चिमी घाट, कच्छ, राजस्थान, और प्रायद्वीपीय भारत**
   - **नेपाल और श्रीलंका** में भी पाई जाती है।
4. **भारत में स्थिति:**
   - भारत में इस प्रजाति की **कुल वैश्विक आबादी का 80% हिस्सा** पाया जाता है।

रस्टी-स्पॉटेड कैट की विशेषताएँ

1. **आकार और वजन:** वजन **1.5 किलोग्राम से कम**, जो घरेलू बिल्ली के आधे आकार की होती है।
2. **रंग और शरीर संरचना:**
   - **फॉन-ग्रे (हल्का भूरे-ग्रे) रंग** की त्वचा।
   - पीठ और बाजू पर **जंग के रंग (Rusty) के धब्बे**।
   - सिर छोटा, गोल और आँखों के अंदरूनी किनारों पर **दो सफेद धारियाँ**।
3. **आँखें:**
   - आँखें बड़ी, जिनका रंग **धूसर-भूरा से ऐम्बर** तक होता है।
   - बड़ी आँखें इसके **रात्रिचर (Nocturnal) व्यवहार** के अनुकूलन का संकेत देती हैं।
4. **पंजे और पूँछ:**
   - पैर छोटे और पंजों के तलवे **काले रंग के**।
   - पूँछ **मध्यम लंबी**, शरीर की तुलना में अधिक जंगिया रंग की और बिना किसी निशान के।

संरक्षण स्थिति: IUCN रेड लिस्ट: *निकट संकटग्रस्त (Near Threatened)*

जल जीवन मिशन / Jal Jeevan Mission

संदर्भ:

केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने आम बजट **2025-26 में जल जीवन मिशन (JJM)** को **2028** तक बढ़ाने की घोषणा की है।

- इस विस्तार के लिए 67,000 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है।

जल जीवन मिशन (JJM) के बारे में:

1. **शुरुआत: वर्ष 2019** में लॉन्च किया गया।
2. **उद्देश्य:** सभी ग्रामीण घरों में **कार्यात्मक नल कनेक्शन (FHTC)** प्रदान करना।
   - प्रति व्यक्ति **55 लीटर प्रति दिन** सुरक्षित पेयजल सुनिश्चित करना।
3. **समयसीमा:** प्रारंभिक लक्ष्य **2024** था, लेकिन कार्यान्वयन में चुनौतियों के कारण इसे **2028** तक बढ़ा दिया गया है।
4. **वर्तमान प्राथमिकता:**
   - **गुणवत्तापूर्ण अवसंरचना (Infrastructure)।**
   - **सतत संचालन और रखरखाव।**
   - **"जन भागीदारी" (People's Participation) के तहत सामुदायिक नेतृत्व प्रबंधन।**

जल जीवन मिशन (JJM) की प्रमुख उपलब्धियाँ:

1. **पाइप से पेयजल की पहुंच:**
   - **2019 में**: 3.23 करोड़ परिवारों के पास पाइपयुक्त जल उपलब्ध था।
   - **2024-25 तक**: यह संख्या **12 करोड़** से अधिक हो गई।
2. **100% कवरेज हासिल करने वाले राज्य: अरुणाचल प्रदेश, गोवा, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, गुजरात, पंजाब, तेलंगाना और मिज़ोरम।**
3. **100% कवरेज हासिल करने वाले केंद्रशासित प्रदेश:**
   - **अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, दादरा नगर हवेली एवं दमन और दीव, और पुडुचेरी।**

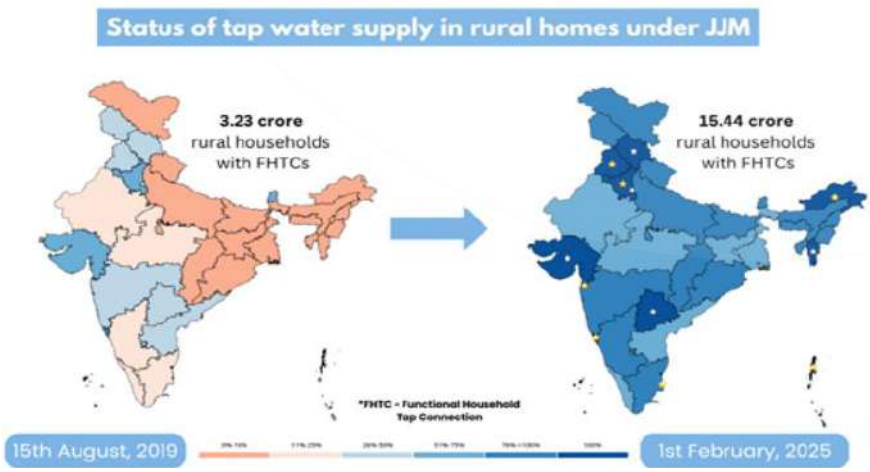

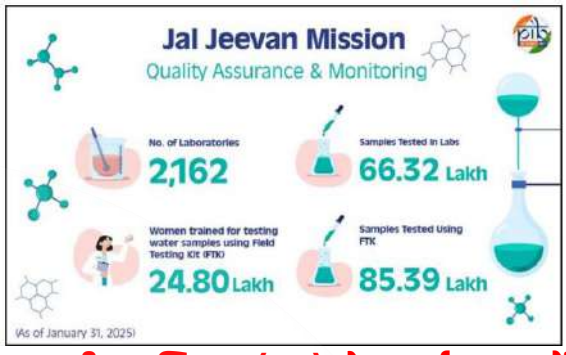

जल जीवन मिशन (JJM) के कार्यान्वयन में चुनौतियाँ:

1. **अवसंरचना और कनेक्टिविटी समस्याएँ:**
   - **"लो-हैंगिंग फ्रूट" रणनीति:** पहले से मौजूद बुनियादी ढांचे वाले क्षेत्रों में कवरेज तेजी से बढ़ा, लेकिन दूरस्थ गांवों तक विस्तार करना कठिन साबित हो रहा है।
   - **जलाशय-से-गांव पाइपलाइन:** कई गांवों में जलाशयों से पानी लाने के लिए लंबी पाइपलाइन बिछाने की जरूरत है, जिससे लागत और जटिलता बढ़ जाती है।
2. **बाहरी कारकों के कारण लागत बढ़ोतरी:**
   - **COVID-19 प्रभाव:** आपूर्ति श्रृंखला और श्रमिक उपलब्धता में व्यवधान।
   - **रूस-यूक्रेन युद्ध:** उपकरण और सामग्री की लागत बढ़ने से बजट पर दबाव।
3. **कार्यान्वयन में रुकावटें:**
   - **धन का अपर्याप्त उपयोग: 2024-25 में ₹50,000 करोड़ अप्रयुक्त** रह गए, जो क्रियान्वयन में अक्षमताओं को दर्शाता है।

दालों में आत्मनिर्भरता का मिशन / Mission for Aatmanirbharta in Pulses

संदर्भ:

वित्त मंत्री ने आम बजट 2025-26 में **छह वर्षीय 'आत्मनिर्भरता मिशन'** की घोषणा की, जिसका लक्ष्य दालों के उत्पादन को बढ़ाकर भारत को आत्मनिर्भर बनाना है।

आत्मनिर्भरता मिशन (दालों के लिए):

1. **बजट आवंटन: ₹1,000 करोड़** इस मिशन के लिए निर्धारित।
2. **उद्देश्य:**
   - **दाल उत्पादन में आत्मनिर्भरता** प्राप्त करना।
   - **न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP) आधारित खरीद** और **कटाई के बाद भंडारण समाधान** प्रदान करना।
   - **आयात पर निर्भरता** कम करना।

आत्मनिर्भरता मिशन (दालों के लिए) की प्रमुख विशेषताएँ:

1. **MSP-आधारित खरीद:**
   - **NAFED** और **NCCF** किसानों से दालें खरीदेंगे, बशर्ते वे पंजीकरण कर समझौता करें।
   - **उद्देश्य:** किसानों को **उचित मूल्य** दिलाना और **बाजार मूल्य स्थिर** रखना।
2. **कटाई के बाद भंडारण (Post-Harvest Warehousing): भंडारण अवसंरचना में सुधार** और **कटाई के बाद होने वाले नुकसान** को कम करने पर जोर।
3. **लक्षित फसलें:**
   - **तूर/अरहर:** पहले **250-270 दिन** में तैयार होती थी, अब **150-180 दिन** में तैयार हो रही है।
     - उपज **20 क्विंटल/हेक्टेयर से घटकर 15-16 क्विंटल/हेक्टेयर**।
   - **उड़द:** काली दाल, भारत की प्रमुख दलहन फसलों में से एक।
   - **मसूर:** लाल मसूर, जिसके आयात में हाल के वर्षों में रिकॉर्ड वृद्धि हुई है।

दालों के आयात में रुझान:

1. **2017-18 से 2022-23:** आयात **घटकर 24.96 लाख टन** (It) तक पहुँच गया।
   - **मटर (पीली/सफेद मटर) और चना (काबुली/देशी चना)** में आत्मनिर्भरता बढ़ी।
2. **2023-24:** सूखे के कारण आयात **47.38 लाख टन ($3.75 बिलियन)** तक बढ़ा।
   - **मसूर का रिकॉर्ड आयात: 16.76 लाख टन।**
   - मटर का आयात भी बढ़ा।
3. **अप्रैल-नवंबर 2024: $3.28 बिलियन का आयात**, जो 2023 की इसी अवधि ($2.09 बिलियन) से **56.6% अधिक**।
4. **2024-25 (वर्तमान वित्तीय वर्ष):**
   - **आयात 40 लाख टन पार**।
   - **तूर/अरहर पहली बार 10 लाख टन से अधिक**।
   - **मटर का आयात सात साल के उच्चतम स्तर पर।**
5. **2024-25 के लिए अनुमान:** मौजूदा दर पर **आयात $5.9 बिलियन तक पहुँच सकता है**।
   - यह **2016-17 के अब तक के उच्चतम $4.24 बिलियन** के रिकॉर्ड को पार कर सकता है।

दालों की आत्मनिर्भरता में चुनौतियाँ:

- **कम उत्पादकता** – अस्थिर पैदावार के कारण दालों की खेती उपेक्षित रही है।
- **अवशिष्ट फसल** – दालों को कम उपजाऊ और वर्षा आधारित भूमि पर उगाया जाता है, जिससे पोषक तत्व और कीट प्रबंधन पर कम ध्यान दिया जाता है।
- **हरित क्रांति का प्रभाव** – गेहूं और चावल को प्राथमिकता देने से दालों की खेती हाशिए पर चली गई, जिससे उत्पादकता घटी और भूमि की गुणवत्ता प्रभावित हुई।
- **तकनीकी प्रगति की कमी** – अब तक किसी भी दाल की फसल में महत्वपूर्ण तकनीकी सुधार नहीं हुआ है।
- **कम लाभदायक फसल** – किसानों को गेहूं और चावल की तुलना में दालों की कम लागत-लाभ अनुपात वाली फसल मानते हैं।
- **HYV बीजों का कम उपयोग** – उच्च उपज देने वाली किस्मों (HYV) के बीजों की पहुँच और उपयोग कम है।
- **कटाई के बाद नुकसान** – भंडारण के दौरान नमी और कीटों, विशेष रूप से दाल भृंग के कारण नुकसान होता है।

घरेलू कामगार संरक्षण पर सुप्रीम कोर्ट / Supreme Court on Domestic Worker Protection

संदर्भ:

सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार से घरेलू श्रमिकों, विशेष रूप से महिलाओं, को शोषण से बचाने के लिए कानून बनाने का आग्रह किया है।

- अदालत ने विभिन्न मंत्रालयों के विशेषज्ञों को शामिल करते हुए एक अंतर-मंत्रालयी समिति गठित करने का निर्देश दिया है, जो घरेलू श्रमिकों की सुरक्षा के लिए कानूनी ढांचे की आवश्यकता पर विचार करेगी।

घरेलू श्रमिकों की संवेदनशीलता:

1. **महत्वपूर्ण श्रम कानूनों से बाहर:**
   - **न्यूनतम वेतन अधिनियम** और **समान पारिश्रमिक अधिनियम** जैसे प्रमुख श्रम कानूनों के दायरे में नहीं आते।
2. **कानूनी असमानता:**
   - कुछ राज्यों में नियम हैं, लेकिन **कोई समान राष्ट्रीय कानून** नहीं है।
3. **हाशिए के समुदायों पर प्रभाव:**
   - यह कार्यबल मुख्य रूप से **हाशिए के समुदायों और प्रवासी मजदूरों** से आता है, जिससे उनकी **संवेदनशीलता और अधिक बढ़ जाती है**।

सुप्रीम कोर्ट का घरेलू श्रमिकों पर दृष्टिकोण:

1. **कानूनी आवश्यकता की समीक्षा:**
   - केंद्र सरकार को **घरेलू श्रमिकों के लिए कानून की आवश्यकता पर विचार करने** का निर्देश।
2. **अंतर-मंत्रालयी समिति:**
   - श्रमिकों के **कानूनी अधिकारों के लिए एक रूपरेखा तैयार करने** का आदेश।
3. **कानूनी संरक्षण की कमी:**
   - **न्यूनतम वेतन अधिनियम और समान पारिश्रमिक अधिनियम** जैसे कानूनों से बाहर।
4. **असमान वेतन संरचना:**
   - **एक ही क्षेत्र में भी वेतन में भारी अंतर** पाया गया।
5. **सार्वभौमिक कानून की जरूरत:**
   - **एक समान राष्ट्रीय कानून** बनाने पर जोर, जो **सभी राज्यों पर लागू हो**।

चुनौतियाँ और न्यायिक हस्तक्षेप:

1. **ILO कन्वेंशन 189:**
   - भारत ने इस वैश्विक मानक को **अभी तक अनुमोदित नहीं किया**।
   - यह **उचित वेतन, सामाजिक सुरक्षा और शोषण से सुरक्षा** की गारंटी देता है।
2. **न्यायिक आदेश और प्लेसमेंट एजेंसियाँ:**
   - **सुप्रीम कोर्ट ने प्लेसमेंट एजेंसियों का पंजीकरण अनिवार्य किया**, लेकिन **कमजोर प्रवर्तन** के कारण श्रमिक अब भी असुरक्षित हैं।
3. **जटिल रोजगार संरचना:**
   - घरेलू कार्य **आंशिक (Part-time) और पूर्णकालिक (Full-time) दोनों रूपों** में होता है, जिससे **समान सुरक्षा उपाय लागू करना मुश्किल** हो जाता है।

राष्ट्रीय कानून की आवश्यकता:

1. **राज्य-स्तरीय असमानताएँ:**
   - कुछ राज्यों जैसे **केरल और दिल्ली** में नियम हैं, लेकिन **कोई समान राष्ट्रीय कानून नहीं** है।
2. **प्रवर्तन (Enforcement) की चुनौती:**
   - **नियोक्ता घरेलू श्रमिकों का पंजीकरण नहीं कराते**, जिससे **रोजगार का प्रमाण जुटाना मुश्किल** होता है।
3. **न्यायिक हस्तक्षेप:**
   - **अदालतों ने प्लेसमेंट एजेंसियों के पंजीकरण और दस्तावेजीकरण के निर्देश दिए**, लेकिन इन प्रयासों का **सीमित प्रभाव** पड़ा है।

बीमा क्षेत्र में एफडीआई बढ़ाकर 100% किया गया / FDI in Insurance Sector Hike to 100%

संदर्भ:

केंद्र सरकार ने 2025-26 के केंद्रीय बजट में बीमा क्षेत्र में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (FDI) की सीमा 74% से बढ़ाकर 100% करने का प्रस्ताव रखा है। इसका उद्देश्य वैश्विक निवेश आकर्षित करना और 2047 तक 'सभी के लिए बीमा' के लक्ष्य को हासिल करना है।

विदेशी प्रत्यक्ष निवेश (FDI):

1. **परिभाषा:**
   - जब किसी देश की कंपनी या व्यक्ति **दूसरे देश में परिसंपत्तियों, व्यवसायों या उत्पादन गतिविधियों में निवेश करता है**।
2. **महत्त्व:**
   - **पूंजी, प्रौद्योगिकी और प्रबंधन विशेषज्ञता** लाकर अर्थव्यवस्था को गति देता है।
   - **नौकरी के अवसर** बढ़ाता है, खासकर **विनिर्माण, सेवा और बुनियादी ढांचा** क्षेत्रों में।
   - **स्थानीय कंपनियों की प्रतिस्पर्धात्मकता बढ़ाने** के लिए **कौशल और तकनीक हस्तांतरण** को प्रोत्साहित करता है।

बीमा क्षेत्र में एफडीआई सीमा और विधायी सुधार:

1. **एफडीआई सीमा वृद्धि:**
   - फरवरी 2021 में बीमा क्षेत्र में **एफडीआई सीमा 49% से बढ़ाकर 74%** कर दी गई।
2. **विधायी ढांचे की समीक्षा:**
   - **बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण (IRDAI)** और उद्योग जगत से परामर्श लेकर **व्यापक विधायी समीक्षा** की गई।

वैश्विक स्तर पर भारत का बीमा क्षेत्र:

1. **वर्तमान स्थिति:**
   - भारत **दुनिया का 10वां सबसे बड़ा बीमा बाजार**।
   - **उभरती अर्थव्यवस्थाओं में दूसरा सबसे बड़ा बीमा बाजार**।
2. **भविष्य की संभावनाएँ:**
   - **2033 तक छठा सबसे बड़ा बीमा बाजार** बनने की संभावना, **जर्मनी और कनाडा को पीछे छोड़ते हुए**।
   - **2026 तक बाजार का आकार USD 222 बिलियन** तक पहुँचने का अनुमान।

बीमा क्षेत्र में 100% एफडीआई के महत्व:

1. **अधिक निवेश:** विदेशी पूंजी से **विकास और विस्तार को बढ़ावा** मिलेगा।
2. **प्रतिस्पर्धा में वृद्धि:** **बेहतर उत्पाद, सेवाएँ और प्रतिस्पर्धी मूल्य निर्धारण** को प्रोत्साहन।
3. **तकनीकी प्रगति:** **उन्नत तकनीक और नवाचार उत्पादों** को अपनाने में मदद।
4. **बीमा कवरेज में सुधार:** **'2047 तक सभी के लिए बीमा' लक्ष्य** को प्राप्त करने में सहायता।

भारत के बीमा क्षेत्र की स्थिति (आर्थिक सर्वेक्षण 2024-25):

1. **कुल बीमा प्रीमियम वृद्धि:**
   - **FY24 में 7.7% वृद्धि**, कुल प्रीमियम **₹11.2 लाख करोड़** तक पहुँचा।
2. **बीमा पैठ (Insurance Penetration):**
   - **FY23 में 4% से घटकर FY24 में 3.7%**।
   - बीमा प्रीमियम का **GDP के प्रतिशत के रूप में मापन**।
3. **बीमा घनत्व (Insurance Density):**
   - **USD 92 (FY23) से बढ़कर USD 95 (FY24)**।
   - बीमा प्रीमियम का **जनसंख्या के अनुपात में (प्रति व्यक्ति) मापन**।

भारत के बीमा क्षेत्र की चुनौतियाँ:

1. **शीर्ष बीमा कंपनियों की अनुपस्थिति:** दुनिया की **शीर्ष 25 बीमा कंपनियों में से 20 भारत में मौजूद नहीं** हैं।
2. **आर्थिक बाधाएँ:** **लोगों की क्रय शक्ति सीमित** होने के कारण बीमा अपनाने की दर कम।
3. **सांस्कृतिक प्राथमिकताएँ:** लोग **पारंपरिक वित्तीय तरीकों (जैसे सोना, अचल संपत्ति, बचत खाते)** को बीमा से अधिक प्राथमिकता देते हैं।

"GET READY FOR A WILD RIDE OF KNOWLEDGE !"

SUBSCRIBE OUR NEW YOUTUBE CHANNEL

ANKIT AVASTHI

Video will be upload soon !

RRB NTPC
TEST SERIES
100+ Mock Test
78 Sectional Test
40+ years PYPs
60+ Current affairs
TEST
Only
99
Per
Year
Buy Now

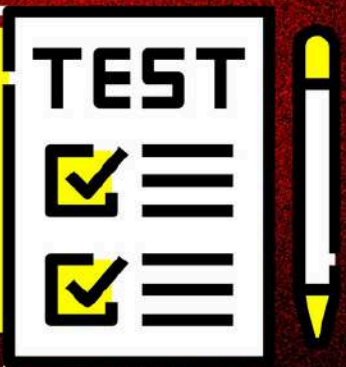

GA FOUNDATION

Hand Written Notes

Apni Pathshala
एक कदम उज्ज्वल भविष्य की ओर

Ankit Inspires India

₹ Only 1999

4 पुस्तकों का सम्पूर्ण सेट

अधिक जानकारी के लिए दिए गए नंबर पर संपर्क करें....

7878158882

APNI PATHSHALA

UPPSC,RO/ARO,BPSC,UP TEST SERIES

UPPSC
(TEST SERIES)
- 35+ MOCK TESTS
- 40+ PYQ'S
- 180+ TOPIC WISE TEST
- 60+ CURRENT AFFAIRS

ONLY 299/- YEAR

RO/ARO
(TEST SERIES)
- 50+ MOCK TESTS
- 30+ PYQ'S
- 10+ TOPIC WISE TEST
- 65+ CURRENT AFFAIRS

ONLY 299/- YEAR

BPSC
(TEST SERIES)
- 50+ MOCK TESTS
- 30+ PYQ'S
- 10+ TOPIC WISE TEST
- 65+ CURRENT AFFAIRS

ONLY 299 YEAR

SSC (TEST SERIES)
- 30 MOCK TESTS
- 28+ YEAR PYP
- 12 SECTIONAL TEST
- 60+ CURRENT AFFAIRS

ONLY 99/- YEAR

RPF (TEST SERIES)
- 40 MOCK TESTS
- 2 YEAR PYQ'S
- 4 SECTIONAL TEST
- 10 PRACTICE TEST
- 60 CURRENT AFFAIRS

ONLY 99/- YEAR

Download | Application

Apni Pathshala

7878158882

Apni.Pathshala Avasthiankit

AnkitAvasthiSir kaankit

ANKIT AVASTHI SIR

NCERT COMPLETE

FOUNDATION BATCH

FOR ALL

- POLITY
- ECONOMICS
- HISTORY
- GEOGRAPHY

- DAILY LIVE CLASSES
- , WEEKLY TEST
- CLASSES PDF (HINDI+ENGLISH)
- LIVE DOUBT SESSIONS
- DAILY PRACTISE PROBLEM

Rs 4999/-

Apni Pathshala 7878158882 Apni.Pathshala kaankit AnkitAvasthiSir Avasthiankit

ONLY
POLITY
1499
RS
DAILY LIVE CLASSES
, WEEKLY TEST
CLASSES PDF (HINDI+ENGLISH)
LIVE DOUBT SESSIONS
DAILY PRACTISE PROBLEM
Apni Pathshala
7878158882
Apni.Pathshala
kaankit
AnkitAvasthiSir
Avasthiankit

SSC TEST SERIES

CGL, CHSL, MTS, CET, CPO, GD,

Stenographer (Grades C & D)

Only at

99/-Year

Enroll Now !